

कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहायकी शक्तियों बयपुर शहर बयपुर  
क्रमांक: ५४०१

दिनांक १९-८-५१

सत्यनारायण कुलवाल  
म.न. ३५५६, लबू सेठ हाउस  
दूसरा पोस्टा, कल्याण जी.का. रास्ता  
चौदपोत, बयपुर

विषय: RTI के तहत सूचना देने हेतु।

संदर्भ: आपका पत्र ९/९/११

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वित संदर्भ में लेख है कि संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम १९५९ की धारा ५ एवं ५(क) के अंतर्गत निर्वाचित संबंधी विवाद में रजिस्ट्रार को मध्यस्थता, निर्णय करने अथवा जांच किश जाने के संबंध में कोई शक्तियाँ प्रदत्त नहीं हैं। एवं अधिनियम की धारा १९ के अंतर्गत ऐसे मामलों में विवाद होने पर विवादित पक्षकार अलग क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रकारों में रजिस्ट्रार को जांच अथवा निर्णय करने की शक्तियाँ प्रदत्त नहीं हैं।

सूचनाएँ

उपजिस्ट्रार  
सहायकी शक्तियों  
बयपुर शहर